Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 588 / 10 अधिप्राप्ति / 2022 दिनांक– 01/07/2022

सेवा में,

1– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैक, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पौड़ी / देहरादून।

2–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।

3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।

4–मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।

5– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

6–प्रबन्धक निदेशक, ब्रिडकुल देहरादून।

7– मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।

8–प्रबन्धक निदेशक, पेयजल निगम देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु एस0ओ0आर0 के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के कार्यवृत्त का पत्रांक सं0 587 / 10अधिप्राप्ति / 2022 दिनांक 30.06.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा एस0ओ0आर0 का निर्धारण करने हेतु दिनांक 29.06.2022 को एक बैठक का अयोजन किया गया था, जिसका कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–कार्यवृत्त एस0ओ0पी0 सहित।

(इं0 अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को दिनांक 29.06.2022 की बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को को दिनांक 29.06.2022 की बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ।
3. सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन को को दिनांक 29.06.2022 की बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वित विभाग से नामित सदस्य को एस0ओ0आर0 पुनरीक्षण की आगामी बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
4. मुख्य अभियन्ता गुणवत्ता नियत्रण विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को एस0ओ0पी0 के बिन्दू सं0 9 पर अवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियन्ता गुणवत्ता नियत्रण विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को एस0ओ0पी0 के बिन्दू सं0 8 पर अवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता 05 वाँ / 11 वाँ वि0 / यां0 वृत्त हल्द्वानी / देहरादून को एस0ओ0पी0 के बिन्दू सं0 10 पर अवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

7. अधीक्षण अभियन्ता अन्वेषण सेल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को एस0ओ0पी0 के बिन्दू सं0 11 पर अवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
8. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0 सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को दिनांक 29.06.2022 की बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10. अधिशासी अभियन्ता अन्वेषण सेल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को एस0ओ0पी0 के बिन्दू सं0 12 पर अवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता सप्तम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. सहायक अभियन्ता (SOR), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
13. कनिष्ठ अभि0 / अपर सहा0अभि0 (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

1/7/22

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

1/7/22

दिनांक 29.06.2022 को मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून की अध्यक्षता में एस0ओ0आर0 2022–23 के पुनरीक्षण हेतु आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2022 को पूर्वान्ह 11.30 बजे लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित मीटिंग कक्ष में एस0ओ0आर0 2022–23 के पुनरीक्षण हेतु विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. श्री दीपक कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
3. श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
4. श्री जय प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. श्री संजीव कुमार गौतम, अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉं वि0/यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. श्री संजीव जैन, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
7. श्री मनीष सेमवाल, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
8. श्री वी0वी0रावत, अधीक्षण अभियन्ता, आर0डब्ल्यू0डी0, देहरादून।
9. श्री सुभाष चन्द्र, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. श्री गम्भीर सिंह, उप–महाप्रबन्धक, ब्रिडकुल, देहरादून।
11. श्री अजय कुमार, उप–महाप्रबन्धक, ब्रिडकुल, देहरादून।
12. श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
13. श्री अजय बेलवाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण मण्डल, पेयजल निगम, देहरादून।
14. श्री सुनील चन्द, सदस्य, ठेकेदार संघ, देहरादून।
15. श्री गोविन्द पुण्डीर, सदस्य, ठेकेदार संघ, देहरादून।
16. श्री राजेन्द्र सिंह कौर, सदस्य, ठेकेदार संघ, देहरादून।

उक्त बैठक में एस0ओ0आर0 2022–23 के पुनरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–2 संख्या–2200/III(2)/22–17(सामान्य) 2008 देहरादून, दिनांक 17 जून, 2022 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप (एस0ओ0पी0) में दिये गये बिन्दुओं पर विचार किया गया, जो कि निम्नवत् हैं:–

मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों का स्वागत किया गया।

1– मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा आज दिनांक 29.06.2022 विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी (संलग्न–उपस्थिति शीट की छायाप्रति)। समस्त अधिकारियों द्वारा S.O.P. के अनुरूप S.O.R. पुनरीक्षित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एस0ओ0पी0 के अनुसार अलग–अलग कार्यवाही कर पूर्ण प्रकरण समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

2– वर्ष 2021 की लेबर की दरों पर वर्ष 2022 का Price Index जोड़ते हुये दरें आंकलित की जाय तथा वर्ष 2022 हेतु लेबर की दरें पुनरीक्षित करने से पूर्व श्रमायुक्त कार्यालय के Minimum रेट का भी संज्ञान लिया जाय।

3– ऐसी संरचनायें जो लगातार पानी के सम्पर्क में रहती हैं यथा–Bridge, Water Tank, Dam, RCC Wall, Flood Structure एवं बैराज आदि कार्य की मदों में Corrosion Resistant Steel (CRS) का प्रयोग किया जाय, ताकि संरचना की आयु स्टील के Corrosion के कारण कम न हो, जबकि अन्य कार्यों को Primary एवं Secondary Steel में लिया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य की मदों की सूची अलग–अलग जारी की जाय तथा दर विश्लेषण में स्टील के प्रकार के अनुसार दरें विश्लेषित की जाय।

4— पूर्व एस0ओ0आर0 में जारी विविध मदों के अन्तर्गत पी0सी0 की दरों में भिन्नता है एवं रेट अधिक लिये गये हैं, उस Item को पुनः अवलोकित कर संशोधित / Delete किया जाय।

5— वर्तमान में Morth Data Book 2019 में जो भी नये Item सम्मिलित हुये हैं, उन्हें भी SOR (2022—23) में जोड़ा जाय।

6— कुछ Block जिनका भौगोलिक क्षेत्र काफी लम्बा है, उनके समुद्रीतल से ऊँचाई में काफी अन्तर है। ऐसे Blocks को Identify करते हुये, वहाँ पर आवश्यकतानुसार दो रेट्स बनाये जाने की सहमति दी गयी। इसमें क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से संस्तुति प्राप्त कर ली जाय।

7— निर्माण कार्यों में उपयोग की जानी वाली सामग्री जैसे—स्टील, सीमेन्ट, बिटुमन आदि की दरें भारत सरकार के मान्यता प्राप्त उपक्रमों की वर्तमान दरों का संज्ञान लेते हुये तय की जायेगी।

उपरोक्त कार्यवृत्त एस0ओ0पी0 की प्रति तथा आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि संलग्नकों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये एक सप्ताह के अन्दर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

पत्रांक:— 587/10 अभि.आप्र./22 दिनांक 30/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, देहरादून।
4— मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0 / विश्व बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, ...
5— समस्त उपस्थित अधिकारीगण।
6— अधीक्षण अभियन्ता, गुणवत्ता नियन्त्रण / अन्वेषण शेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

30.6.022

(के0पी0उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

दिनांक 29.06.2022 को प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून की अध्यक्षता मे एस0ओ0आर0 2022–23 के पुनरीक्षण हेतु आहुत बैठक मे उपस्थिति ।

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	Mob.no. Email id	हस्ताक्षर
1.		प्रमुख अभियन्ता HoD PWD	PWD		
2.		प्रमुख अभि० HoD सिंचाई विभाग	Irrigation Deptt		
3.		मुख्य अभि० नियोजन	PWD		
4.	ओम प्रकाश	मुख्य अभियन्ता	लो०नि०वि० अल्मोड़ा	9412019348	[signature]
5.	संजीव कुमार [illegible]	अधीक्षण अभियन्ता वि०यां० लो०नि०वि०	PWD	7906078528	[signature]
6.	मनीष सेमवाल	अधीक्षण अभियन्ता / सचिव अध्यक्ष	उत्तराखण्ड जल संस्थान	9412005292 [illegible]	[signature]
7.	[illegible]	[illegible] अभियन्ता	[illegible]	9897121530 [illegible]	[signature]
8.	सुभाष चन्द्र	महाप्रबन्धक (निर्माण) [illegible]	[illegible]	9412056739	[signature]
9.	मनोज कुमार [illegible]	मुख्य अभि०, ग्रा० [illegible]	[illegible]	9410162650	[signature]
10.	अजय बैलवाल	सहायक अभि० [illegible] पेयजल निगम, देहरादून	पेयजल निगम [illegible]	9412912686	[signature]
11.	मनमोहन सिंह	उप महाप्रबन्धक विद्युत देहरादून	विद्युत	9456590706	[signature]
12.	Seend Chand	Contractor [illegible]		9412319544	[signature]
13.	Gavind [illegible]	Contractor P.W.D		8077946813	[signature]
14.	Rajendra Singh Kur	ठेकेदार संघ		9837242058	[signature]
15.	V.V. Rawat	S.E(m), RWD	R.W.D	9412948190	[signature]
16	D.K. Yadav	CE, PWD Haldwani	PWD	9412055429	[signature]
17.	Jai Pal Singh	Chief Engineer	Irrigation	9412369050	[signature]
18.	Sanjeev Jain	SE PC.	Irrigation	9412317475	[signature]

दिनांक 29.06.2022 को प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून की अध्यक्षता मे एस0ओ0आर0 2022–23 के पुनरीक्षण हेतु आहुत बैठक मे उपस्थिति ।

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	Mob.no. Email id	हस्ताक्षर
19	Himanshu Shekhar [illegible]	J.E.(T) CNIP.	BRIDCUL	8193095752	[signature]
20	Pankaj [illegible]	J.E(T)	BRIDCUL	8193095759	[signature]
21	Ajay [illegible]	DGM(R&B)	BRIDCUL	9410175749	[signature]
22	Satyendra Saklani	J.E (T) BRIDCUL H.Q.	BRIDCUL Dehradun.	8475007853	[signature]
23					
24					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16					
17.					
18.					

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या–2200/III (2)/22-17(सामान्य)2008
देहरादून : दिनांक 17 जून, 2022

:: कार्यालय ज्ञाप ::

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 129/XXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2017 के नियम-42 में दरों की अनुसूची (Schedule of Rates) प्रकाशित किये जाने एवं शासनादेश संख्या ...III(2)/08-115(सामान्य)/07 दिनांक 12 जनवरी, 2009 द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में दरों की अनुसूची (Schedule of Rates) का समयबद्ध पुनरीक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

1. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स प्रत्येक वर्ष माह मई के प्रथम सप्ताह में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा जारी किया जायेगा।
2. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति का प्रारूप निम्नवत् होगा–
   i. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून– अध्यक्ष
   ii. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून–सदस्य
   iii. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अधिकारी–सदस्य
   iv. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून–सदस्य
   v. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून–सदस्य
   vi. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अभियन्ता–सदस्य
3. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति की बैठक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, देहरादून में आयोजित की जायेगी, तथा समस्त बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्धित Portal पर भी Upload किया जायेगा।
4. लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग एवं सेतु कार्यों से सम्बन्धित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किया जायेगा।
5. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी होने के उपरान्त इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति के अनुमोदन के उपरान्त, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किया जायेगा।
6. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष माह मार्च के प्रथम सप्ताह में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। विज्ञप्ति में विभिन्न Stakeholders यथा आम जनमानस, ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं से सुझाव एवं दरें अवगत कराने का अनुरोध किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित Portal, जिसमें सुझाव/दरें (साक्ष्य सहित) Upload की जानी है, की विस्तृत जानकारी भी प्रकाशित की जायेगी। उक्त सुझाव 21 मार्च तक सम्बन्धित Portal पर Upload किये जायेंगे।

7. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति की प्रथम बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

8. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून में स्थित गुणवत्ता नियन्त्रण सैल के अधीक्षण अभियन्ता (जिन्हें प्रमुख अभियन्ता द्वारा नामित किया जायेगा) लेबर, सामग्री व मशीनों की दरों के निर्धारण हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जोकि समस्त विभागों, जनमानस, ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं एवं लो.नि.वि., क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दरों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

9. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून में स्थित मुख्य अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, समस्त विभागों से विगत वर्ष में प्राप्त निविदाओं की स्थिति ज्ञात करने हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जोकि केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को अवगत करायेंगे कि विभिन्न तकनीकी विभागों में प्राप्त निविदाओं की विगत वर्ष के SOR के आधार पर स्थिति क्या है? अर्थात कितनी निविदायें SOR से अधिक तथा कितनी निविदायें SOR से कम दरों पर प्राप्त हुई है।

10. मशीनरी की दरों के निर्धारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, वि./यॉ., लोक निर्माण विभाग (हल्द्वानी एवं देहरादून) संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी होंगे, जोकि MORTH, DSR, बाजार दरें, विभिन्न विभागों, जनमानस, ठेकेदारों, विभिन्न संस्थाओं एवं विभिन्न अधिशासी अभियन्ता (वि./यॉ.), लोक निर्माण विभाग से प्राप्त दरों का साक्ष्य सहित परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

11. नई निर्माण सामग्री एवं नवीन विशिष्टियों पर आधारित मदों हेतु अधीक्षण अभियन्ता (Research Cell), लो.नि.वि., देहरादून, नोडल अधिकारी होंगे, जोकि साक्ष्य सहित अपनी संस्तुति केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

12. विभिन्न निर्माण सामग्रियों की न्यूनतम परिवहन दूरी, स्थल विशेष पर निर्माण सामग्री की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हेतु अधिशासी अभियन्ता (Research Cell), लो.नि.वि., देहरादून, नोडल अधिकारी होंगे, जोकि समस्त अधिशासी अभियन्ता, अन्य विभागों के अधिशासी अभियन्ता, जनमानस, ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त साक्ष्यों/सूचना के आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

13. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल अथवा अगले कार्य दिवस तक दरों का निर्धारण सुनिश्चित करेगी तथा इन दरों को जारी करने से पूर्व प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित Portal पर Upload किया जायेगा। 30 अप्रैल तक इन दरों के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित सुझाव/संशोधन, सम्बन्धित Portal पर Upload किये जा सकेंगे।

14. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति के अध्यक्ष के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समयान्तर्गत करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित Portal पर दरें प्रदर्शित होने के उपरान्त, जारी होने की अवधि से पूर्व समस्त ब्लॉकों की दरों की जाँच कराने हेतु नोडल अधिकारी होंगे (क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं को ब्लॉक आवंटित कर सकते है)।

15. विभिन्न मदों की दर निर्धारण हेतु MORD, MORTH, Standard Data Book जो अद्यतन हो प्रयोग में लायी जायेंगी।

7. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति की प्रथम बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

8. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून में स्थित गुणवत्ता नियन्त्रण सैल के अधीक्षण अभियन्ता (जिन्हें प्रमुख अभियन्ता द्वारा नामित किया जायेगा) लेबर, सामग्री व मशीनों की दरों के निर्धारण हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जोकि समस्त विभागों, जनमानस, ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं एवं लो.नि.वि., क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दरों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

9. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून में स्थित मुख्य अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, समस्त विभागों से विगत वर्ष में प्राप्त निविदाओं की स्थिति ज्ञात करने हेतु नोडल अधिकारी होंगे, जोकि केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को अवगत करायेंगे कि विभिन्न तकनीकी विभागों में प्राप्त निविदाओं की विगत वर्ष के SOR के आधार पर स्थिति क्या है? अर्थात कितनी निविदायें SOR से अधिक तथा कितनी निविदायें SOR से कम दरों पर प्राप्त हुई है।

10. मशीनरी की दरों के निर्धारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, वि./यॉ., लोक निर्माण विभाग (हल्द्वानी एवं देहरादून) संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी होंगे, जोकि MORTH, DSR, बाजार दरों, विभिन्न विभागों, जनमानस, ठेकेदारों, विभिन्न संस्थाओं एवं विभिन्न अधिशासी अभियन्ता (वि./यॉ.), लोक निर्माण विभाग से प्राप्त दरों का साक्ष्य सहित परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

11. नई निर्माण सामग्री एवं नवीन विशिष्टियों पर आधारित मदों हेतु अधीक्षण अभियन्ता (Research Cell), लो.नि.वि., देहरादून, नोडल अधिकारी होंगे, जोकि साक्ष्य सहित अपनी संस्तुति केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

12. विभिन्न निर्माण सामग्रियों की न्यूनतम परिवहन दूरी, स्थल विशेष पर निर्माण सामग्री की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हेतु अधिशासी अभियन्ता (Research Cell), लो.नि.वि., देहरादून, नोडल अधिकारी होंगे, जोकि समस्त अधिशासी अभियन्ता, अन्य विभागों के अधिशासी अभियन्ता, जनमानस, ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त साक्ष्यों/सूचना के आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति को प्रस्तुत करेंगे।

13. केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल अथवा अगले कार्य दिवस तक दरों का निर्धारण सुनिश्चित करेगी तथा इन दरों को जारी करने से पूर्व प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित Portal पर Upload किया जायेगा। 30 अप्रैल तक इन दरों के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित सुझाव/संशोधन, सम्बन्धित Portal पर Upload किये जा सकेंगे।

14. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति के अध्यक्ष के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समयान्तर्गत करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित Portal पर दरें प्रदर्शित होने के उपरान्त, जारी होने की अवधि से पूर्व समस्त ब्लॉकों की दरों की जाँच कराने हेतु नोडल अधिकारी होंगे (क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं को ब्लॉक आवंटित कर सकते है)।

15. विभिन्न मदों की दर निर्धारण हेतु MORD, MORTH, Standard Data Book जो अद्यतन हो, प्रयोग में लायी जायेंगी।

एस.ओ.आर. 01.06.2019 के सापेक्ष एस.ओ.आर. 01.06.2021 में औसतन वृद्धि	05 मुख्य मदों में अधिकतम वृद्धि			अधिकतम वृद्धि वाले 05 मदों की एस.ओ.आर. के आधार पर सम्मिलित घटित प्रतिशत			05 मुख्य मदों में न्यूनतम वृद्धि			न्यूनतम वृद्धि वाले 05 मदों की एस.ओ.आर. के आधार पर सम्मिलित घटित प्रतिशत			एस.ओ.आर. 01.06.2019 के सापेक्ष एस.ओ.आर. 01.06.2021 के मदों लेबर में वृद्धि			एस.ओ.आर. 01.06.2019 के सापेक्ष एस.ओ.आर. 01.06.2021 के मद सामग्री की दर वृद्धि			एस.ओ.आर. 01.06.2019 के सापेक्ष एस.ओ.आर. 01.06.2021 के मद मशीनरी की दर में वृद्धि			एस.ओ.आर. 01.06.2019 के सापेक्ष एस.ओ.आर. 01.06.2021 के नये मदों का उल्लेख	एस.ओ.आर. 01.06.2019 से 01.06.2021 में कम किये गये विशिष्टियों की स्थिति (पूर्ण विवरण)			एस.ओ.आर. 01.06.2019 से 01.06.2021 में नये जोड़ी गई विशिष्टियों की स्थिति (सम्पूर्ण विवरण)		
	क्र.सं.	मद का नाम	प्रतिशत वृद्धि	लेबर का प्रतिशत	सामग्री का प्रतिशत	मशीनरी का प्रतिशत	क्र.सं.	मद का नाम	प्रतिशत वृद्धि	लेबर का प्रतिशत	सामग्री का प्रतिशत	मशीनरी का प्रतिशत	क्र.सं.	मद का नाम	दरों में वृद्धि प्रतिशत	क्र.सं.	मद का नाम	दरों में वृद्धि प्रतिशत	क्र.सं.	मद का नाम	दरों में वृद्धि प्रतिशत		क्र.सं.	मद का नाम	विशिष्टियों की संख्या	क्र.सं.	मद का नाम	विशिष्टियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

		माह मई 2019 से वर्तमान तक **TWO BIDs** के अन्तर्गत प्राप्त कुल निविदाओं के सम्बन्ध में सूचना						माह मई 2019 से वर्तमान तक **Other All BIDs** के अन्तर्गत प्राप्त कुल निविदाओं के सम्बन्ध में सूचना					
क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल आमंत्रित निविदाओं की संख्या	SOR की दरों के सापेक्ष अधिक दरों पर प्राप्त निविदाऐ		SOR की दरों के सापेक्ष कम दरों पर प्राप्त निविदायें			कुल आमंत्रित निविदाओं की संख्या	SOR की दरों के सापेक्ष अधिक दरों पर प्राप्त निविदाऐ		SOR की दरों के सापेक्ष कम दरों पर प्राप्त निविदायें		
			0–10% तक	10% से अधिक	0–10% तक	10% से 20% तक	20% से अधिक कम		0–10% तक	10% से अधिक	0–10% तक	10% से 20% तक	20% से अधिक कम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14